

अध्याय VII विविध रूचिकर विषय

पूर्ववर्ती अध्यायों में वर्णित मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए कुछ रोचक मामलों और जिनमें ₹ 50.05 करोड़ का शुल्क शामिल है, के दृष्टान्त निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं। यह आपत्तियाँ चार ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सूचित की गईं। विभाग ने एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ में निहित ₹11.66 लाख के वित्तीय प्रभाव वाली लेखापरीक्षा आपत्तियाँ (दिसम्बर 2010 तक) स्वीकार की थीं।

7.1 पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्धारणीय मूल्य का गलत निर्धारण

बोर्ड ने अपने दिनांक 22 अप्रैल 2002 के परिपत्र में स्पष्ट किया कि पाइपलाईन से पेट्रोलियम उत्पादों के संचलन के दौरान एमएस/एचएसडी (मोटरस्फिरिट/तीव्र गति डीज़ल) के साथ उच्चतर किरोसिन तेल (एसकेओ) के आपस में मिलने के मामले में एसकेओ के अन्तमिश्रित भाग पर देय शुल्क और एमएस/एचएसडी पर देय शुल्क को निर्धारित किया जाना चाहिए और दानों में उच्चतर का भुगतान किया जाना चाहिए।

हल्दिया कमिश्नरी में पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण में लगे मै. भारतीय तेल निगम लिमिटेड, (आरडी), हल्दिया ने विभिन्न डिपुओं को पाइपलाईनों के माध्यम से एमएस/एचएसडी की निकासी के लिए अन्तरापृष्ठ के रूप में एसकेओ का उपयोग किया। निर्धारिती ने एमएस के साथ एसकेओ की अन्तरापृष्ठ मात्रा का निर्धारण किया और गणना की ओर एमएस पर देय शुल्क के उच्चतर दर की गणना किए बिना अन्तमिश्रित एसकेओ पर शुल्क का भुगतान किया। विभाग से सितम्बर 2004 से फरवरी 2008 तक की अवधि के लिए एमएस पर देय वास्तविक शुल्क का निर्धारण करने और उच्चतर शुल्क को लागू करने और अन्तर की वसूली करने के लिए प्रार्थना की गई।

जब हमने इसका ध्यान दिलाया (सितम्बर 2008), विभाग ने बताया (अप्रैल 2009) कि बोर्ड के दिनांक 4 सितम्बर 2004 के परिपत्र के अनुसार स्थानान्तरण के समय पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क ऐसी स्थिति में देय था जिसमें इसे विपणन व्यवस्थाओं पर होने वाले रूपान्तरण/परिवर्तन का ध्यान दिए बिना परिष्करण-शाला से बाहर भेजा गया हो।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने परिष्करण-शाला से निकासी पर शुल्क का भुगतान नहीं किया था। अतः भुगतान किया गया शुल्क दिनांक 22 अप्रैल 2002 और 4 सितम्बर 2004 के बोर्ड के दोनों परिपत्रों में से किसी एक की भी अनुरूपता में नहीं था।

विभाग ने सूचित किया (मई 2010) कि सितम्बर 2004 से अगस्त 2009 की अवधि को शामिल करते हुए ₹ 49.16 करोड़ का एक बचावकारी कारण बताओं नोटिस अक्टूबर 2009 में जारी कर दिया था।

मंत्रालय से उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है (दिसम्बर 2010)

7.2 सीमेन्ट पर उपकर का अनुदग्रहण/भुगतान न करना

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (उसके अन्तर्गत बनी सीमेन्ट उपकर नियमावली, 1993 के साथ पठित) की धारा 9(1) में अनुबद्ध है कि रोटरी किल्ल के आधार पर प्रतिवर्ष 99,000 टन और वर्टिकल शाफ्ट किल्ल के आधार पर प्रतिवर्ष 66,000 टन से अधिक क्षमता के सीमेन्ट संयंत्रों में सीमेन्ट उत्पादन करने वाला प्रत्येक विनिर्माता फ़ैक्ट्री में विनिर्मित और निकसित सीमेन्ट के प्रति टन पर ₹ 0.75 की दर पर उपकर का भुगतान करेगा। कथित नियमावली का नियम 3 और 4 आगे अनुबद्ध करता है कि सीमेन्ट का प्रत्येक विनिर्माता जो उपकर को अदा करने का दायी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत सीमेन्ट उद्योग के "विकास आयुक्त" को पूर्ववर्ती महीने के दौरान सीमेन्ट के उत्पादित एवं निकासी किए गए स्टॉक से सम्बन्धित मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा और अगले महीने की 15 तारीख तक कथित प्राधिकारी को उपकर की राशि भेजेगा।

गुवाहाटी, गुन्टुर, हैदराबाद IV और शिलांग कमिश्नरी में दस विनिर्माताओं ने इस तथ्य के बावजूद कि इन फ़ैक्ट्रियों में लगाई क्षमता रोटरी किल्ल के आधार पर 99,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक है और तदनानुसार उपकर देय है, उपकर का भुगतान किए बिना अप्रैल 2001 से मार्च 2010 तक की अवधि के दौरान अपनी फ़ैक्ट्रियों में विनिर्मित ₹103.40 लाख टन सीमेन्ट की निकासी की। दस निर्धारितियों द्वारा भुगतान न किए गए कुल उपकर की राशि ₹77.54 लाख थी।

हमने इसे विकास कमिश्नर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (जून और अगस्त 2010 के बीच) बताया; उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

7.3 न उठाई गई मांग

मै. मधुमिलन सिन्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड {1988(35) ईएलटी 349 (एससी)} के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अन्तर्गत कारण बताओं ज्ञापन जारी नहीं किया जाता विभाग किसी प्राप्य की वसूली करने के पात्र नहीं है।

हैदराबाद III कमिश्नरी में एमएस जस्तेदार मिनार और मिनार के अवयवों के विनिर्माण में लगे मै. एस्टर टेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने जिन्कझास, जिन्क स्क्रैप, जिन्क चूर्ण आदि नामके अपशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए। निर्धारितियों ने 10 मई 2008 से 31

जनवरी 2009 तक अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान किए बिना इन अपशिष्ट उत्पादों की निकासी की। कथित अपशिष्ट उत्पादों पर देय ₹11.66 लाख के शुल्क की मांग नहीं की गई। यह ब्याज सहित वसूली-योग्य था।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2009), विभाग ने सैद्धान्तिक रूप से लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (मई 2009 और मार्च 2010) लेकिन कहा कि विषय पहले ही उनकी जानकारी में था और निर्धारिती को फरवरी 2009 में शुल्क का भुगतान करने के लिए सलाह दी गई।

विभाग के उत्तर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्यों निर्धारिती को मात्र "सलाह" दी गई और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अन्तर्गत कारण बताओ ज्ञापन जारी नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस के न होने से विभाग अपनी सलाह पर जोर देने की स्थिति में नहीं था।

मंत्रालय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2010)।

नई दिल्ली
दिनांक:-

(सुवीर मल्लिक)
प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्षकर)

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:-

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक